

शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना

पात्रता- मंडल की परिधि में आने वाली औद्योगिक संस्थानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के शिक्षारत दो बच्चों तक जो कक्षा 5 वीं से 12 वीं एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एवं विगत कक्षा में उत्तीर्ण हुये हैं, को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर जो म.प्र. में अध्ययनरत हैं, को वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति लाभ अन्य किसी विभाग से छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त न होने की दशा में प्रदान किया जाता है। उक्त योजना लोक सेवा प्रदाय की गारंटी स्कीम 2010 में दिनांक 22-12-2022 से सेवा क्रमांक 2.43 शामिल है।

आवश्यक दस्तावेज (छायाप्रतियां)

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- विगत वर्ष की अंकसूची
- पासपोर्ट साइज फोटो
- छात्र/छात्रा का आधार पत्र
- बैंक पास बुक, प्रथम पृष्ठ
- संस्थान/स्थापना तथा शैक्षणिक संस्थान के प्रमाणीकरण।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी- मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी जो जनसंपर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक इस योजना में पदाभिहित अधिकारी नियुक्त है।

वितरित की जाने वाली कक्षावार छात्रवृत्ति राशि:-

क्रं.	कक्षा	प्रतिवर्ष देय राशि
1	5th TO 8 th	2000
2	9th & 10 th	4450
3	11th & 12 th	4700
4	ITI (Certificate course)	5000
5	Polytechnic (Diploma course)	5000
6	GENERAL Greduate (BA, B.Com, B.Sc, BBA)	7700
7	ENGINEERING (BE/BTECH)	10000
8	MBBS/BDS	12500
9	Pharmacy,Ayurvedic, Homeopathic (UG,PG, Diploma) Paramedical, nursing Courses	9000
10	Law Courses	10000
11	GENERAL PG Courses (MA, M.Com, M.Sc, MBA)	7700
12	ME/MTech	11500
13	PGDM & Other Diploma Of Management	7700